(Amarnath Yatra)

17/C

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 526] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2015/भाद्र 3, 1937
No. 526] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2015/BHADRA 3, 1937

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2015

सा.का.नि. 653(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार नियम, 1951 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये 12 मई, 2010 से प्रवृत्त समझे जाएंगे।

2. भारतीय तार नियम, 1951 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है),—

(क) नियम 525 के उपनियम (2) में, धारा III में, मद संख्या (ग) के पश्चात् निम्नलिखित मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(घ)(i) वर्ष 2010 से भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा अमरनाथ यात्रा के मार्ग में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने से अवसंरचना के सृजन पर परियोजना पर राजस्व के उपगत रूप में किया जा रहा प्रचालन और पूंजीगत व्यय संबंधी व्यय वहन किया जा रहा है जिसे अब सार्वभौमिक सेवा बाध्यता निधि द्वारा वित्त-पोषित किया जाएगा।

(ii) खंड (घ) के उप-खंड (i) में निर्दिष्ट वित्त-पोषण उस अवधि तक होता रहेगा जब तक कि प्रशासक, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि ऐसा करना ठीक समझेंगे।

(ख) उक्त नियमों के नियम 526 में शब्दों, कोष्ठकों और अंकों "खंड (iii) की मद (ख क) और मद (ग)" के स्थान पर "खंड (iii) की मद (ख क), मद (ग) और मद (घ)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर रखा जाएगा।

स्पष्टीकारक ज्ञापनः- केन्द्रीय सरकार ने 12 मई, 2010 को सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा वित्त-पोषित की जाने वाली श्री अमरनाथ जी की यात्रा को संयोजकता प्रदान करने से संबंधित कार्यों को करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड के नाम निर्देश को अनुमोदित किया था (भारतीय तार नियम में संशोधन करके)।

तत्पश्चात, श्री अमरनाथ जी की वर्ष 2010 और 2011 के लिए यात्राएं हुई जिनमें भारत संचार निगम लिमिटेड ने यात्रा के मार्ग में दूरसंचार संयोजकता प्रदान की थी। भारत संचार निगम लिमिटेड ने वर्ष 2010 और 2011 में यात्रा मार्ग में प्रदान की गई दूरसंचार संयोजकता के संबंध में उपगत की गई धनराशि के दावे प्रस्तुत किए हैं।

भारतीय तार (संशोधन) नियम, 2004 द्वारा यथासंशोधित भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 526 के संबंध में सार्वभौमिक सेवा दायित्व के आज्ञापक के अनुसार सार्वभौमिक सेवा प्रदाता का चयन बोली प्रक्रिया के माध्यम से पात्र प्रचालकों के बीच में से किया जाएगा। तथापि, दूरसंचार विभाग ने निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए अमरनाथ यात्रा के लिए दूरसंचार संयोजकता प्रदान करने के कार्य करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व नियम को शिथिल करते हुए भारत संचार निगम लिमिटेड को निर्णय किया था:—

(i) क्षेत्र की दूरस्थता;

(ii) स्कीम की वाणिज्यिक-अव्यवहार्यता; और

(iii) जम्मू कश्मीर से संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा के सरोकार।

तद्नुसार, यह निर्णय लिया गया है कि भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 2010 और वर्ष 2011 की श्री अमरनाथ जी की यात्रा के संबंध में किए गए उपगत व्यय का वित्त पोषण सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से करने के लिए भारतीय तार नियम,1951 को भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित किया जाए। इस संशोधन के भूतलक्षी प्रभाव से किसी अन्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फा. सं. 3-12/2012-पीएचपी]

शशि रंजन कुमार, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

टिप्पणी : मुख्य नियम डाक एवं तार मैनुअल, खंड–एक, विधायी अधिनियम भाग- 2, छठवें संस्करण में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए थे:-

1.	सा.का.नि. 190, दिनांक 18 फरवरी, 1984
2.	सा.का.नि. 386, दिनांक 22 मई, 1984
3.	सा.का.नि. 387(अ), दिनांक 22 मई, 1984
4.	सा.का.नि. 679, दिनांक 30 जून, 1984
5.	सा.का.नि. 428, दिनांक 27 अप्रैल, 1985
6.	सा.का.नि. 729, दिनांक 03 अगस्त, 1985
7.	सा.का.नि. 982, दिनांक 19 अक्टूबर, 1986
8.	सा.का.नि. 553 (अ), दिनांक 27 मार्च, 1986
9.	सा.का.नि. 314, दिनांक 26 अप्रैल, 1986

10.	सा.का.नि. 566, दिनांक 26 जुलाई,1986
11.	सा.का.नि. 953(अ), दिनांक 23 जुलाई,1986
12.	सा.का.नि. 1121(अ), दिनांक 1 अक्टूबर,1986
13.	सा.का.नि. 1167(अ), दिनांक 28 अक्टूबर, 1986
14.	सा.का.नि. 1237(अ), दिनांक 28 नवम्बर, 1986
15.	सा.का.नि. 49, दिनांक 17 जनवरी,1987
16.	सा.का.नि. 112(अ), दिनांक 25 फरवरी, 1987
17.	सा.का.नि. 377(अ), दिनांक 09 अप्रैल, 1987
18.	सा.का.नि. 674(अ), दिनांक 27 जुलाई, 1987

19.	सा.का.नि. 719(अ), दिनांक 18 अगस्त, 1987
20.	सा.का.नि. 837(अ), दिनांक 5 अक्टूबर, 1987
21.	सा.का.नि. 989(अ), दिनांक 17 दिसम्बर, 1987
22.	सा.का.नि. 337(अ), दिनांक 11 मार्च, 1988
23.	सा.का.नि. 361(अ), दिनांक 21 मार्च, 1988
24.	सा.का.नि. 626(अ), दिनांक 17 मई, 1988
25.	सा.का.नि. 660(अ), दिनांक 31 मई, 1988
26.	सा.का.नि. 693(अ), दिनांक 10 जून, 1988
27.	सा.का.नि. 734(अ), दिनांक 24 जून, 1988
28.	सा.का.नि. 606, दिनांक 14 जुलाई, 1988
29.	सा.का.नि. 812(अ), दिनांक 26 जुलाई, 1988
30.	सा.का.नि. 888(अ), दिनांक 01 सितम्बर, 1988
31.	सा.का.नि. 907(अ), दिनांक 07 सितम्बर, 1988
32.	सा.का.नि. 916(अ), दिनांक 09 सितम्बर, 1988
33.	सा.का.नि. 1054, दिनांक 2 नवम्बर, 1988
34.	सा.का.नि. 179, दिनांक 18 मार्च, 1989
35.	सा.का.नि. 358(अ), दिनांक 15 मार्च, 1989
36.	सा.का.नि. 622(अ), दिनांक 15 जून, 1989
37.	सा.का.नि. 865(अ), दिनांक 29 सितम्बर, 1989
38.	सा.का.नि. 413(अ), दिनांक 29 मार्च, 1990
39.	सा.का.नि. 574(अ), दिनांक 15 जून, 1990
40.	सा.का.नि. 933(अ), दिनांक 03 दिसम्बर, 1990
41.	सा.का.नि. 985(अ), दिनांक 20 दिसम्बर, 1990
42.	सा.का.नि. 74(अ), दिनांक 18 जनवरी,1991

43.	सा.का.नि. 237(अ), दिनांक 25 अप्रैल, 1991
44.	सा.का.नि. 251(अ), दिनांक 02 मई, 1991
45.	सा.का.नि. 543(अ), दिनांक 21 मई, 1992
46.	सा.का.नि. 560(अ), दिनांक 26 मई, 1992
47.	सा.का.नि. 587(अ), दिनांक 10 जून, 1992
48.	सा.का.नि. 730(अ), दिनांक 19 अगस्त, 1992
49.	सा.का.नि. 830(अ), दिनांक 28 अक्टूबर, 1992
50.	सा.का.नि. 62(अ), दिनांक 11 फरवरी, 1993
51.	सा.का.नि. 80(अ), दिनांक 06 फरवरी, 1993
52.	सा.का.नि. 384(अ), दिनांक 27 अप्रैल, 1993
53.	सा.का.नि. 387(अ), दिनांक 28 अप्रैल, 1993
54.	सा.का.नि. 220(अ), दिनांक 26 मार्च, 2004
55.	सा.का.नि. 713(अ), दिनांक 17 नवम्बर, 2006
56.	सा.का.नि. 193(अ), दिनांक 01 मार्च, 2007
57.	सा.का.नि. 547(अ), दिनांक 18 जुलाई, 2008
58.	सा.का.नि. 49(अ), दिनांक 27 जनवरी, 2010
59.	सा.का.नि. 279(अ), दिनांक 31 मार्च, 2010
60.	सा.का.नि. 256(अ), दिनांक 27 मार्च, 2012
61.	सा.का.नि. 412(अ), दिनांक 29 मई, 2012
62.	सा.का.नि. 368(अ), दिनांक 07 जून, 2013
63.	सा.का.नि. 506(अ), दिनांक 24 जुलाई, 2013
64.	सा.का.नि. 18, दिनांक 28 जनवरी, 2014
65.	सा.का.नि. 912(अ), दिनांक 23 दिसम्बर, 2014

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2015

G.S.R. 653(E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (Amendment) Rules, 2015.

   (2) They shall be deemed to have come into force on the 12th May, 2010.

2. In the Indian Telegraph Rules, 1951 (hereinafter referred to as the said rules),—

(a) in rule 525, in sub-rule (2), in Stream III, after item (c), the following item shall be inserted, namely:—

"(d) (i) For creation of infrastructure for providing mobile services on the route of Amarnath Yatra, the capital expenses and operating expenses net of revenue incurred on the project by Bharat Sanchar Nigam Limited each year since 2010, shall be funded by the Universal Service Obligation Fund.

(ii) The funding referred in sub-clause (i) of clause (d) shall continue till such period as the Administrator, USOF deem fit. "

(b) in the said rules, in rule 526, for the words, brackets and letters "item (ba) and item (c) of clause (iii)", the words, brackets and letters "item (ba), item (c) and item (d) of clause (iii)" shall be substituted.

Explanatory Memorandum.—The Central Government had, on the 12th May 2010, approved for nominating Bharat Sanchar Nigam Limited to carry out the work of providing connectivity for Shri Amarnath Ji Yatra to be funded by Universal Service Obligation Fund (by amending the Indian Telegraph Rules).

Subsequently, Shri Amarnath Ji Yatra for 2010 and 2011 have been concluded, with Bharat Sanchar Nigam Limited providing the telecom connectivity along the Yatra route. Bharat Sanchar Nigam Limited has submitted the claims for amount incurred while providing telecom connectivity along the Yatra route in year 2010 and 2011.

According to the mandate of Universal Service Obligation in terms of rule 526 of Indian Telegraph Rules, 1951, as amended by the Indian Telegraph (Amendment) Rules, 2004, the selection of Universal Service Provider shall be made by a bidding process from amongst the eligible operators. However, the decision to nominate Bharat Sanchar Nigam Limited in relaxation of the Universal Service Obligation Rules, to carry out the work of providing telecom connectivity for Amarnath Yatra, was taken by Department of Telecommunications after taking in account the following factors, namely :—

(i) remoteness of the area;

(ii) commercial non-viability of the scheme; and

(iii) the national security considerations in Jammu and Kashmir.

Accordingly, it is decided to amend the Indian Telegraph Rules, 1951 with retrospective effect for funding from Universal Service Obligation the expenditure incurred by Bharat Sanchar Nigam Limited for Shri Amarnath Ji Yatra for 2010 and 2011. No one will be adversely affected by giving retrospective effect to the amendment.

[F. No. 3-12/2012-PHP]

SHASHI RANJAN KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Post and Telegraph Manual, Volume I, Legislative Enactment, Part II, Sixth Edition, and subsequently amended vide notification number –

1.	G.S.R. 190, dated the 18th February, 1984
2.	G.S.R. 386, dated the 22nd May, 1984
3.	G.S.R. 387(E), dated the 22nd May, 1984
4.	G.S.R. 679, dated the 30th June, 1984
5.	G.S.R. 428, dated the 27th April, 1985
6.	G.S.R 729, dated the 3rd August, 1985
7.	G.S.R. 982, dated the 19th October, 1986
8.	G.S.R. 553(E), dated the 27th March, 1986
9.	G.S.R. 314, dated the 26th April, 1986
10.	G.S.R. 566, dated the 26th July, 1986

11.	G.S.R. 953(E), dated the 23rd July, 1986
12.	G.S.R. 1121(E), dated the 1st October, 1986
13.	G.S.R. 1167(E), dated the 28th October, 1986
14.	G.S.R. 1237(E), dated the 28th November, 1986
15.	G.S.R. 49, dated the 17th January, 1987
16.	G.S.R. 112(E), dated the 25th February, 1987
17.	G.S.R. 377(E), dated the 9th April, 1987
18.	G.S.R. 674(E), dated the 27th July, 1987
19.	G.S.R. 719(E), dated the18th August, 1987
20.	G.S.R. 837(E), dated the 5th October, 1987
21.	G.S.R. 989(E), dated the 17th December, 1987

22.	G.S.R. 337(E), dated the 11th March, 1988
23.	G.S.R. 361(E), dated the 21st March, 1988
24.	G.S.R. 626(E), dated the 17th May, 1988
25.	G.S.R. 660(E), dated the 31st May, 1988
26.	G.S.R. 693(E), dated the 10th June, 1988
27.	G.S.R. 734(E), dated the 24th June, 1988
28.	G.S.R. 606, dated the 14th July, 1988
29.	G.S.R. 812(E), dated the 26th July, 1988
30.	G.S.R. 888(E), dated the 1st September, 1988
31.	G.S.R. 907(E), dated the 7th September, 1988
32.	G.S.R. 916(E), dated the 9th September, 1988
33.	G.S.R. 1054, dated the 2nd November, 1988
34.	G.S.R. 179, dated the 18th March, 1989
35.	G.S.R. 358(E), dated the 15th March, 1989
36.	G.S.R. 622(E), dated the 15th June, 1989
37.	G.S.R. 865, dated the 29th September, 1989
38.	G.S.R. 413(E), dated the 29th March, 1990
39.	G.S.R. 574(E), dated the 15th June, 1990
40.	G.S.R. 933(E), dated the 3rd December, 1990
41.	G.S.R. 985(E), dated the 20th December, 1990
42.	G.S.R. 74(E), dated the 18th January, 1991
43.	G.S.R. 237(E), dated the 25th April, 1991

44.	G.S.R. 251(E), dated the 2nd May, 1991
45.	G.S.R. 543(E), dated the 21st May, 1992
46.	G.S.R. 560(E), dated the 26th May, 1992
47.	G.S.R. 587(E), dated the 10th June, 1992
48.	G.S.R. 730(E), dated the 19th August, 1992
49.	G.S.R. 830(E), dated the 28th October, 1992
50.	G.S.R. 62(E), dated the 11th February, 1993
51.	G.S.R. 80, dated the 6th February, 1993
52.	G.S.R. 384(E), dated the 27th April, 1993
53.	G.S.R. 387(E), dated the 28th April, 1993
54.	G.S.R. 220(E), dated the 26th March, 2004
55.	G.S.R. 713(E), dated the 17th November, 2006
56.	G.S.R. 193(E), dated the 01st March, 2007
57.	G.S.R. 547(E), dated the 18th July, 2008
58.	G.S.R. 49(E), dated the 27th January, 2010
59.	G.S.R. 279(E), dated the 31st March, 2010
60.	G.S.R. 256(E), dated the 27th March, 2012
61.	G.S.R. 412(E), dated the 29th May, 2012
62.	G.S.R. 368(E), dated the 07th June, 2013
63.	G.S.R. 506(E), dated the 24th July, 2013
64.	G.S.R. 18, dated the 28th January, 2014
65.	G.S.R. 912(E), dated the 23rd December, 2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.